रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17052026-272641
CG-DL-E-17052026-272641

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 330] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 14, 2026/वैशाख 24, 1948
No. 330] NEW DELHI, THURSDAY, MAY 14, 2026/VAISAKHA 24, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 मई, 2026

सा.का.नि. 364(अ).— मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 212 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 का संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों का प्रारूप, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) तारीख 30 जनवरी, 2026 में भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 100(अ) तारीख 30 जनवरी, 2026 द्वारा प्रकाशित किए गए थे, जिनमें उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना को अंतर्विष्ट करने वाली राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध कराई गई थी, तीस दिन की अवधि की समाप्ति के पूर्व प्रभावित होने वाले सभी व्यक्तियों से आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे ;

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनसाधारण को 30 जनवरी, 2026 को उपलब्ध करा दी गई थी ;

और उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में जनसाधारण से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केंद्रीय सरकार द्वारा विचार कर लिया गया है ;

अतः अब केन्द्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 110 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ --** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय मोटर यान (सातवाँ संशोधन) नियम, 2026 है ।

(2) ये नियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 93 के उपनियम (1) के खंड (क) में ;

(क) उपखंड (VI), उपशीर्षक "मोटर यान प्रवर्ग एन" के अधीन, छठवें परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"परंतु यह भी कि घरेलू वस्तुओं या फोटोवोल्टिक सौर पैनलों या मॉड्यूलों के परिवहन में संलग्न श्रेणी एन 2 या एन 3 के मोटर यान के मामले में, जिन्हें कई परतों में लोड बॉडी पर पैक और स्टैक किया जाता है, मोटर यान की कुल ऊंचाई 4.50 मीटर से अधिक नहीं होगी।";

(ख) उपखंड (VII), उपशीर्षक "ट्रेलर प्रवर्ग टी" के अधीन, चौथे परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"परंतु यह भी कि घरेलू वस्तुओं या फोटोवोल्टिक सौर पैनलों या मॉड्यूलों के परिवहन में संलग्न ट्रक ट्रेलर या ट्रैक्टर ट्रेलर या सेमी-ट्रेलर के मामले में, जिन्हें लोड बॉडी पर कई परतों में पैक और स्टैक किया जाता है, मोटर यान की कुल ऊंचाई 4.50 मीटर से अधिक नहीं होगी।"।

[फा. सं. आरटी-11028/05/2018-एमबीएल]

महमूद अहमद, अपर सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 590(अ), तारीख 2 जून, 1989 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनका अंतिम संशोधन सा.का.नि 349(अ), तारीख 8 मई, 2026 द्वारा किया गया ।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th May, 2026

G.S.R. 364(E).— Whereas, the draft rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989 were published, as required under sub-section (1) of section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, number G.S.R 100 (E), dated the 30th January, 2026 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), dated the 30th January, 2026, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of the period of thirty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas copies of the said Gazette notification were made available to the public on 30th January, 2026;

And whereas the objections and suggestions received from the public in respect of the said draft rules have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, namely:-

1. **Short title and commencement**. — (1) These rules may be called the Central Motor Vehicles (Seventh Amendment) Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Motor Vehicles Rules, 1989, in rule 93, in sub-rule (1), in clause (A);

(a) in sub-clause (VI), under the sub-heading "Motor vehicle Category N", after the sixth proviso, the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided also that in case of a motor vehicle of category N2 or N3 engaged in transportation of white goods or photovoltaic solar panels or modules packaged and stacked on the load body in multiple layers, the overall height of the motor vehicle shall not exceed 4.50 meters.";

(b) in sub-clause (VII), under the sub-heading "Trailers Category T" after the fourth proviso, the following proviso shall be inserted, namely: -

"*Provided also that in case of a truck trailer or tractor trailer or Semi-trailer engaged in transportation of white goods or photovoltaic solar panels or modules packaged and stacked on the load body in multiple layers, the overall height of the motor vehicle shall not exceed 4.50 meters.*".

[F. No. RT-11028/05/2018-MVL]

MAHMOOD AHMED, Addl. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section(i), *vide* G.S.R. 590(E), dated the 2nd June, 1989 and lastly amended *vide* G.S.R. 349(E) dated the 8th May, 2026

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2026.05.17 15:52:09 +05'30'